Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में बी.एड. कॉलेज की प्राचार्य एवं व्याख्याता 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *28 फरवरी, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डॉ. गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या एवं मोहम्मद अजीज व्याख्याता हिंदी, डॉ. जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज, झालावाड़ को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कॉलेज में उपस्थिति पूरी दिखाने, बोर्ड परीक्षा फार्म यूनिवर्सिटी भिजवाने व इंटरनशीप का लेटर जारी करने की एवज में डॉ. गायत्री खण्डेलवाल प्राचार्या एवं मोहम्मद अजीज व्याख्याता हिंदी, डॉ. जाकिर हुसैन एम.एम.टी. टी. कॉलेज, झालावाड़. द्वारा **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन तथा एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री रमेशचन्द्र आर्य पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ. गायत्री खण्डेलवाल पुत्री श्री धनश्याम महाजन निवासी मामा भांजा चौराहा, लक्ष्मी मिष्टान्न भण्डार के सामने झालावाड़ हाल प्राचार्या डॉ. जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज, झालावाड एवं मोहम्मद अजीज पुत्र श्री मोहम्मद आजम पायगा मोहल्ला, झालावाड़ हाल व्याख्याता हिंदी, डॉ. जाकिर हुसैन एम.एम.टी.टी. कॉलेज, झालावाड़ को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।